अज अदालत...बनाम...

....मु.नं. ....

किस्म मुकदमा...

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	उप0। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। प्रकरण मे तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक क्र.अ./2022/914 दिनांक 25-02-2022 पूर्व मे प्राप्त हो चुकी है जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 28-04-22 को पेश हो।
	(हस्ताक्षर)
	28/04/22 पत्रावली पेश हुयी। समयाभाव के कारण निर्णय नही लिखवाया जा सका है। अत: पत्रावली दिनांक 13/05/22 को पेश हो।
	(हस्ताक्षर)

FORM No. III (प्रारूप सं

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...त ....मुकाम...

...दमा...बनाम...

नम्बर ....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज

पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश पेश
प्रार्थी व पेशकार सरकार उप0। पत्रावली
वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित त
करते हुए कथन किया कि ग्राम सिरोही
खसरा नंबर 2096 रकबा 4.46 हैक्टे. रि
नंबर 1431 रकबा 4.46 हैक्टे. रहे हैं
व हाल नक्शा ट्रेस में अन्तर है। गत
हाल नक्शे को दुरूस्त किया जावे।
अपनी बहस में पत्रावली में मौजूद रि
23.02.2022 व स्वयं की रिपोर्ट क्रमां
दिनांक 25.02.2022 में अंकित तथ्
कथन किया कि खसरा नम्बर 2096
1431 के नक्शे में कोई अन्तर नही
पश्चिमी कोने पर सीमा विवाद
सीमाज्ञान द्वारा संभव है। अतः प्र
सीमाज्ञान करवायें। प्रार्थना पत्र च
खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन व पत्राव
रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोक
जाहिर है कि विवादित आराजी
नंबर 2096 रकबा 4.46 हैक्टे.
रकबा 4.46 हैक्टे. है के हाल
नहीं है। अतः प्रकरण अन्तर्ग
साबित नहीं होने से खारिज
पत्रावली बाद फैसल शुमार
दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजल

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

मुकदमा .... नम्बर .... वर्ष ....

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/05/22	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उप0। पत्रावली में दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया कि ग्राम सिरोही स्थित हाल भूमि खसरा नंबर 2096 रकबा 4.46 हैक्टे. जिसके गत खसरा नंबर 1431 रकबा 4.46 हैक्टे. रहे हैं के गत नक्शा ट्रेस व हाल नक्शा ट्रेस में अन्तर है। गत नक्शा ट्रेस अनुसार हाल नक्शें को दुरूस्त किया जावे। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में पत्रावली में मौजूद रिपोर्ट पटवारी दिनांक 23.02.2022 व स्वयं की रिपोर्ट क्रमांक भूअ/2022/914 दिनांक 25.02.2022 में अंकित तथ्यों का दोहरान कर कथन किया कि खसरा नम्बर 2096 व गत खसरा नम्बर 1431 के नक्शें में कोई अन्तर नही है। प्रार्थी की भूमि के पश्चिमी कोने पर सीमा विवाद है जिसका निस्तारण सीमाज्ञान द्वारा संभव है। अतः प्रार्थी स्वयं की भूमि का सीमाज्ञान करवायें। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी जिसके वर्तमान खसरा नंबर 2096 रकबा 4.46 हैक्टे. व गत खसरा नंबर 1431 रकबा 4.46 हैक्टे. है के हाल व गत नक्शें में कोई अन्तर नहीं है। अतः प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 दुरूस्ती का साबित नहीं होने से खारिज कर निर्णित किया जाता है। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। 13/05/22 (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी	